(b) Information is being compiled & will be laid on the table of the House.

(c) under Section 55 of the MRTP Act, decisions of the MRTP Commission are appealable to the Supreme Court of India within 60 days from the date of the order on one or more of the grounds specified in Section 100 of the Code of Civil Procedure. Supreme Court had set aside the decision of the MRTP Commission on 2-5-1989 in the case of M/s Lakhan Pal National Limited. Supreme Court and several High Court have also granted interim stay of the operation of the orders of MRTP-Commission in some cases.

(d) The MRTP Act was amended with effect from 27-9-1991 and the relevant provisions have been strengthened further empowering the Commission to effectively dealing with Monopolistic, Restrictive and Unfair Trade Practices. The Commission has been given powers to punish for contempt of its Orders. The Government have also extended the provisions of the MRTP Act to the Public Sector Undertakings.

एक समान सिविल संहिता

1727. **डा० बापू कालदाते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) सभी नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता प्रारंभ करने से अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधि में परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाएगा। सरकार की बराबर यह नीति रही है कि वह तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि इन्हीं समुदायों की ओर से परिवर्तन के लिए कोई पहल अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में न ली जाए।

चुनावों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

1728. **डा० बापू कालदाते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने चुनावों के संदर्भ में हाल ही में सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) सरकार द्वारा निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रस्तावों के साथ-साथ कतिपय अन्य प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

1. निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय निकाय होना चाहिए।
2. निर्वाचन आयोग का एक स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय "भारतीय" होना चाहिए न कि "दत्तमत"।
3. निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक अनुकल्पी वर्ष में गहन रूप से पुनरी-

क्षित किया जाना चाहिए और अन्य वर्षों में संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी रहना चाहिए।

4. संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को बहु-उद्देशीय पहचानपत्र जारी किए जाने चाहिए और निर्वाचनों सहित जहां कहीं भी पत्रधारक की पहचान जानने के लिए अपेक्षित हो वहां ऐसे पहचान-पत्रों को प्रस्तुत किया जाना आबद्धकर कर दिया जाए।

5. संबद्ध जिला निर्वाचन आफिसर से कानून द्वारा परामर्श करने की अपेक्षा होनी चाहिए और उसे इस बात के लिए सशक्त किया जाना चाहिए कि निर्वाचनों के लिए पुलिस व्यवस्था में उसकी राय हो।

6. राजनीति के ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो फरार उद्-घोषित व्यक्तियों को संश्रय देते हैं और उनके साथ खुले आम देखे जाते हैं। जब निर्वाचन सन्निकट हो या उसकी प्रक्रिया चल रही हो तब दोषसिद्ध अपराधियों को पैरोल मंजूर करना या उनके दंडादेश का परिहार करने की शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. मत पेटियों या इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने और मत पत्रों को अप्राधिकृत रूप से मुद्रित किए जाने को संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिए।

8. सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभूति निक्षेप की रकम से वृद्धि की जानी चाहिए।

9. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम 10 प्रस्तावक होने चाहिए, जो विभिन्न मतदान क्षेत्रों से होने चाहिए।

10. किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

11. निर्वाचन व्ययों तथा विधि और व्यवस्था को बनाए रखने पर प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटा कर 14 दिन कर दिया जाना चाहिए।

12. निर्वाचन आयोग को रिटर्निंग आफिसर की सूचना के बिना भी बूथों पर कब्जा करने के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाए।

13. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल प्रत्येक वर्ष अपने लेखाओं को प्रकाशित करे और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकरणों द्वारा इनकी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

14. निर्वाचन व्ययों के सही लेखाओं को न रखा जाना या विहित समय के भीतर और रीति से इसकी सही प्रति को प्रस्तुत न किया जाना कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

15. ऐसे अभ्यर्थी, जो विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, अपने आप से पांच वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित हो जाने चाहिए।

16. आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण का परिणाम यह होना चाहिए कि उस अभ्यर्थी का निर्वाचन जिसके पक्ष में या जिसकी सम्मति से या जिसके मौनानुकूलता से अतिक्रमण कार्यरत हुआ था, शून्य

घोषित किया जाना चाहिए और उस अभ्यर्थी (यों) को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

17. राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क में विद्यमान उपबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए और यदि कोई दल इस धारा के अधीन दिए गए वचनबंध का अतिक्रमण करता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए एक विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होनी चाहिए।

18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं और उसके प्रतिकूल हैं। अतः नियम बनाने का प्राधिकार पूर्णतया निर्वाचन आयोग को प्रदत्त किया जाना चाहिए। तथापि, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा।

Misbehaviour of Chief Election Commissioner to a woman employee

1729. SHRI VIREN J. SHAH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the Hindustan Times of 22nd September, 1992 about the misbehaviour of the Chief Election Commissioner to a woman and some other employees of the Commission, resulting in flash strike by the staff on 21st September, 1992;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) As per information furnished by the Election Commission, no incident of misbehaviour by Chief Election Commissioner with a woman employee took place. It was a misunderstanding of measures taken for enforcing security arrangements in the Commission's building.

Irregularities in the Process of Liquidation of Companies

1730. SHRI VIREN J. SHAH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Company Affairs have found irregularities in the process of liquidation of companies as reported in the Economic Times of 28th September, 1992;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is a fact that some of the official liquidators and registrars of certain companies have been caught red handed accepting bribes and are facing enquiries by the Central Bureau of Investigations;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what steps Government have taken to make legislative changes to improve and expedite the process of recodification of the Companies Act, 1956 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a), (b) and (e) The liquidation proceedings are delayed, *inter-alia*, due to non-filing of statement of affairs, paucity of staff and protracted court proceedings in realising the debts and taking over possession of assets.

In the report appearing in the 'Economic Times' of 28-9-1992, reference has been made to the recommendations of the